न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट तालाब)

वाद संख्या :— 02 / 205 / 2013

<u>शांति बनाम भरत्या</u>

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 19.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट तालाब पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 08.08.2013 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 240 / 0.33 है. वाके ग्राम तालाब तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 25.10.2013 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 की ओर से बाद उपस्थिति न्यायालय बार बार अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2013 से प्रचलन में है जिसका अभी निस्तारण नहीं हुआ है, जिसको करीब 6 वर्ष का समय हो गया है। अतः प्रकरण काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 240 / 0.33 है. वाके ग्राम तालाब तहसील राजगढ स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 08.08.2013 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 कैम्प कोर्ट तालाब पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट तालाब)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official